न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं. 9/रेगूलर/2025 (GCMS No. 2025/86)	14.07.2025	03.11.2025

सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक,
रसद कार्यालय, नैनवां

– प्रार्थी

बनाम

गिरिराज गोस्वामी पुत्र कल्याण गोस्वामी,
मैसर्स गिरिराज गोस्वामी स्टोर देई,
तहसील नैनवां, जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार (रसद विभाग)।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

यह कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–"ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रवर्तन अधिकारी, बून्दी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत कर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग करने से जप्त शुदा गैस सिलेण्डरों मय सामग्री के निस्तारण हेतु निवेदन किया है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर इस न्यायालय में पंजिका क्रमांक 9/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2025/86 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी वास्ते सुनवाई जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी का नोटिस बाद तामील प्राप्त हो चुका है किन्तु नियत पेशी दिनांक 06.10.2025 को अप्रार्थी या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी ।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि दिनांक 17.01.2023 को मैसर्स गिरिराज गोस्वामी स्टोर, देई तहसील नैनवां के औचक निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान पर घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया। मौके पर जांच के दौरान 3 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस, 1 गैस सिलेण्डर खाली, 1 पाईप, 1 रेगूलेटर मय 1 भट्टी पाये गये। मौके पर उपस्थित गिरिराज गोस्वामी से व्यावसायिक गतिविधियों में घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग के संबंध में जानकारी चाहे जाने पर उनके द्वारा कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया। वक्त जांच अप्रार्थी के पास घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग करने का कोई वैध लाईसेन्स होना नहीं मिला तथा उक्त एलपीजी सिलेण्डरों को कब्जे में रखे जाने के कोई वैध दस्तावेज भी नहीं मिला, इससे उसकी अनियमितता बखूबी साबित होती है। अतः घरेलू सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग का कोई ठोस कारण नहीं देने के कारण उक्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस, 1 गैस सिलेण्डर खाली, 1 पाईप, 1 रेगूलेटर मय 1 भट्टी को जब्त किया गया। मौके पर फर्द अधिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा तैयार कर उक्त जप्त घरेलू गैस सिलेण्डर मय सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय गैस एजेंसी मैसर्स हस्ती एचपी गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री सत्यनारायण शर्मा की सिपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण और विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 और 4 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस व सामग्री के राजसात किया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया, जिससे प्रकट है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग किया गया है, इस तथ्य की पुष्टि फर्द जप्ति व फर्द सिपुर्दगी की मौका जांच से होती है जिस पर मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग करना नियम विरूद्व है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 एवं 4 का उल्लंघन हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नांकित गैस सिलेण्डरों को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं–

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

क्र.सं.	एसआर नम्बर	कम्पनी का नाम	शुद्ध वजन गैस कि.ग्रा.
1	132088-S	HPCL	8.500 कि.ग्रा.
2	352621-S	HPCL	8.500 कि.ग्रा.
3	727751-S	HPCL	13.700 कि.ग्रा.
4	431667-S	HPCL	0.0 कि.ग्रा.
5	1 गैस भट्टी मय पाईप मय रेगूलेटर		
		कुल गैस वजन	30.700 कि.ग्रा.

साथ ही जिला रसद अधिकारी बून्दी को आदेश दिये जाते हैं कि वह उक्त राजसात किये गये 03 घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस, 1 गैस सिलेण्डर खाली, 1 पाईप, 1 रेगूलेटर मय 1 भट्टी के वापस कम्पनी को लौटाये जाने बाबत नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्तानुसार पालना अविलम्ब की जाकर पालना रिपोर्ट आवश्यक रूप से इस न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आदेश आज दिनांक 03.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी (राज.)